

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी- 6/4/2021

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 669/2021

—:आदेश:—

दिनांक 03/12/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत..... व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम विचल्लोठ पटवार मण्डल रायपुर झुंझुनू की जमाबन्दी सम्वत् 2025-28 के खाता संख्या 182 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	विचल्लोठ	182	रामकला पत्नी लालचन्द अशोककुमार पुत्र लालचन्द विनोदकुमार — do — अशोककुमार — do —	रामकला पत्नी लालचन्द अशोककुमार पुत्र लालचन्द विनोदकुमार do — अशोककुमार do —



नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)  
दिनांक :- 03/12/2021

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 464-65

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी विनोदकुमार / लालचन्द पत्नी अशोककुमार को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)